निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

9 चैत्र 1937 (शo)

(सं0 पटना 405) पटना, सोमवार, 30 मार्च 2015

सं० अ0स0गो0-54/09—676/एम0

खान एवं भूतत्व विभाग

संकल्प

27 फरवरी 2015

विषयः—श्री इन्द्रदेव पासवान, सेवानिवृत्त अपर निदेशक के विरूद्ध सेवाकाल के प्रतिवेदित आरोपों पर बिहार पेंशन नियमावली के नियम-139(ग) के अन्तर्गत कार्रवाई के संबंध में।

गलत ढ़ंग से वादों का निष्पादन, बिहार राज्य में योगदान हेतु विरमित किये जाने के बावजूद श्री इन्द्रदेव पासवान द्वारा निदेशक खान के रूप में पत्र लिखने, वित्तीय वर्ष 1989-90 से 1993-94 तक की अवधि में गुमला एवं लोहरदग्गा जिले से बॉक्साईट का अवैध खनन का परिवहन के संबंध में साक्ष्य उपलब्ध रहने के बावजूद गलत जाँच प्रतिवेदन देने, आरक्षित घाटकुड़ी क्षेत्र के निजी कम्पनियों को लौह अयस्क क्षेत्र आवंटित करने के लिए अनुशंसा करने एवं बिना सरकारी आदेश के बालू खनिज के निष्कासन की अनुमति अपने निजी लाभ एवं आवेदन कम्पनी को अनुचित पहुँचाने के कृत्य के लिये श्री इन्द्रदेव पासवान, सेवानिवृत्त अपर निदेशक के विरूद्ध संकल्प ज्ञाप सं0 597/एम0 दिनांक 14.12.14 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी0) के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही संचालन का निर्णय लिया गया। उक्त विभागीय कार्यवाही का संचालन हेतु विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त करते हुए झारखण्ड सरकार से प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी के नियुक्ति हेतु अनुरोध करने का निर्णय लिया गया। उक्त के क्रम में उप-सचिव, खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड, राँची ने अपने पत्रांक राज0स्था0-63/2003-221/एम0 दिनांक 21.02.14 द्वारा श्री सत्येन्द्र नारायण सिंह, अवर सचिव, खान निदेशालय, खान एवं भूतत्व विभाग को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नामित किया गया।

2. संचालित विभागीय कार्यवाही संख्या 13/14 के क्रम में संचालन पदाधिकारी एवं विभाग के समक्ष आरोपित सेवानिवृत्त पदाधिकारी के आवेदन दिनांक 23.06.14 एवं 16.05.14 द्वारा बिहार पेंशन नियमावली के नियम-43(बी0) के तहत संचालित करने की वैधानिकता के बिन्दु पर प्रश्न उठाया गया। विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना द्वारा दिनांक 30.06.14 के निम्न आदेश अंकित किये हैं-''विधि सम्मत समीक्षा के आलोक में विभाग स्पष्ट करेगा कि क्या आरोपित के द्वारा नियम-43(बी0) की व्याख्या के माध्यम से जो भी वैधानिक बिन्दु उठाये गये हैं, विभाग उससे सहमत है या नहीं और

अगर सहमत नहीं है तो स्पष्ट और Reasoned मंतव्य अभिलिखित रहना चाहिए और यह भी स्पष्ट सूचित रहना चाहिये कि उस आलोक में इस विभागीय कार्यवाही का अग्रेत्तर संचालन किये जाने में वैधानिक कठिनाई नहीं है।''

3. उक्त के आलोक में विभाग द्वारा सम्यक समीक्षोपरांत पाया गया है कि चूँकि आरोपित पदाधिकारी दिनांक 31.10.13 को सेवानिवृत्त हो चुके हैं और उनके विरूद्ध इन प्रतिवेदित आरोपों की जाँच हेतु बिहार पेंशन नियमावली के नियम-43(बी0) के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही संचालन का निर्णय सेवानिवृत्त के पश्चात् संकल्प ज्ञापांक 597/एम0 दिनांक 14.02.14 द्वारा लिया गया है जो आरोप की घटना से 4 वर्ष से अधिक पूर्व की है तथा बिहार पेंशन नियमावली 43(बी0) अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही का संचालन कदाचित नियमानुकूल प्रतीत नहीं होता है। **अतः श्री इन्द्रदेव पासवान, सेवानिवृत्त अपर निदेशक के विरूद्ध संकल्प सं०-597/एम० दिनांक 14.02.14 द्वारा संचालित विभागीय कार्यवाही को संशोधित करते हुए उक्त प्रतिवेदित आरोपों के विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम-139(ग) के तहत कार्रवाई का निर्णय लिया जाता है।**

आदेशः-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतियाँ सभी विभाग/सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी को भेजी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
रमेश प्रसाद रंजन,
सरकार के अपर सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 405-571+100-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in